



Neutral Citation No. - 2026:AHC:10124

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट ए संख्या 16694 सन् 2025

श्रीमती रिकी जायसवाल

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रत्यर्थागण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : ओम प्रकाश यादव, वरिष्ठ अधिवक्ता

प्रत्यर्थागण के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक खरे, जिनकी सहायता विद्वान अधिवक्ता श्री ओम प्रकाश यादव द्वारा की गई, और राज्य की ओर से अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री एस.के. पाल की दलीलें सुनी गईं।
2. श्री एस.के. पाल, अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने यह कथन किया कि उन्हें निर्देशों की पूरी जानकारी है और वे प्रकरण की पैरवी करने की स्थिति में हैं। वे कोई प्रतिवाद शपथपत्र दाखिल करने का प्रस्ताव नहीं रखते हैं और आगे निवेदन करते हैं कि रिट याचिका का निर्णय अभिलेख में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाए।
3. पक्षकारों की सहमति से, रिट याचिका पर नए सिरे से विचार किया जा रहा है।
4. याचिकाकर्ता का प्रकरण यह है कि उन्हें जुलाई 2011 में इलाहाबाद में सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट के पद पर नियुक्त किया गया था। याचिकाकर्ता का कहना है कि वर्ष 2018 में, अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



याचिकाकर्ता को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ में उप सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था और उन्होंने 23.05.2018 को कार्यभार संभाला और 06.01.2020 तक कार्य किया। इसके बाद, 01.01.2020 के आदेश के अनुसार, 07.01.2020 से उनका तबादला कर मंडी परिषद में उप निदेशक के पद पर कार्यभार संभाला गया। 05.06.2023 के आदेश के अनुसार, याचिकाकर्ता का तबादला कर कानपुर नगर में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (भूमि अधिग्रहण) के पद पर तैनात किया गया। याचिकाकर्ता को अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात किया गया था। कानपुर नगर की जिला मजिस्ट्रेट (भूमि अधिग्रहण) को उत्तर प्रदेश राज्य के विशेष सचिव के हस्ताक्षर से 09.01.2025 को निलंबित कर दिया गया है। उन पर आरोप है कि जब वे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ में उप सचिव पद पर थीं, तब उन्होंने सरकारी कर्मचारी के लिए अनुचित आचरण प्रदर्शित किया, विशेष रूप से तब जब आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 02/परीक्षा 2018 के माध्यम से ग्राम विकास अधिकारी (समाज कल्याण) और पर्यवेक्षक (सामान्य चयन) के पदों पर भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया आयोजित की गई थी। उस दौरान याचिकाकर्ता सतर्क नहीं रहीं और उन्होंने ओएमआर शीट की डिजिटाइज्ड स्कैन फाइलों को उचित तरीके से नहीं रखा। परिणामस्वरूप, चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई।

5. दिनांक 09.01.2025 के आदेश पर सवाल उठाते हुए यह याचिका दायर की गई है।

6. इस न्यायालय ने 11.11.2025 को याचिका पर सुनवाई की, जिसमें निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:-

"1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि याचिकाकर्ता अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (भूमि राजस्व) हैं और आयोग में तैनात रहते हुए, ओएमआर शीट के संबंध में कुछ विसंगति पाई गई। यह विसंगति इस आरोप पर आधारित थी कि याचिकाकर्ता ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग में उप सचिव के पद पर रहते हुए ओएमआर शीट के संरक्षण और रखरखाव के लिए अपेक्षित कर्तव्यों का पालन नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप निलंबन आदेश पारित किया गया।"

2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि 09.01.2025 को याचिकाकर्ता को निलंबित कर दिया गया और 25.03.2025 को आरोपपत्र जारी किया गया, जिसका जवाब 29.09.2025 को प्रस्तुत किया गया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह ने इस प्रकरण में निर्देश प्राप्त करने के लिए समय मांगा।

4. इस प्रकरण को 24.11.2025 को नए सिरे से सुनवाई के लिए पेश किया जाए।"

7. इसके बाद 24.11.2025 को निम्नलिखित आदेश पारित किए गए:-

"1. दिनांक 11.11.2025 के आदेश के बाद, दिनांक 21.11.2025 को निर्देश भेजे गए थे, जिनमें कारण बताओ नोटिस और जांच रिपोर्ट का उल्लेख था, लेकिन उन्हें निर्देशों के साथ संलग्न नहीं किया गया था।

2. श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता, निर्देश प्राप्त करने के लिए और समय चाहते हैं।

3. इस प्रकरण को 01.12.2025 को नए सिरे से सुनवाई के लिए पेश किया जाए।"

8. दिनांक 01.12.2025 को निम्नलिखित आदेश पारित किए गए:-

"1. आज दाखिल किए गए निर्देश परिशिष्ट 'बी' के रूप में अभिलेख में लिए गए हैं।

2. दिनांक 11.11.2025 को निम्नलिखित आदेश पारित किया गया है:

"1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि याचिकाकर्ता अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (भूमि राजस्व) हैं और आयोग में तैनात रहते हुए, ओएमआर शीट के संबंध में कुछ विसंगति पाई गई थी। यह आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ता ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग में उप सचिव के पद पर रहते हुए ओएमआर शीट के संरक्षण और रखरखाव के लिए अपेक्षित कर्तव्यों का पालन नहीं किया था, जिसके परिणामस्वरूप निलंबन आदेश पारित किया गया था।

2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि 09.01.2025 को याचिकाकर्ता को निलंबित कर दिया गया था और 25.03.2025 को आरोप पत्र जारी किया गया था, जिसका जवाब 29.09.2025 को प्रस्तुत किया गया है।

3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह ने इस प्रकरण में निर्देश प्राप्त करने के लिए समय मांगा है।



4. इस प्रकरण को 24.11.2025 को नए सिरे से सूचीबद्ध करें।"

3. आज प्रस्तुत निर्देशों में छह साल बीत जाने की परिस्थितियों का उल्लेख नहीं है। आरोप वर्ष 2018 के विज्ञापन के अनुसार चयन से संबंधित है और याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप पत्र वर्ष 2025 में जारी किया गया है।

4. इस संबंध में पूछे गए एक विशिष्ट प्रश्न पर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता सुश्री अर्चना त्यागी ने पूर्ण निर्देश प्राप्त करने के लिए समय मांगा है।

5. प्रकरण को 17.12.2025 को नए सिरे से सूचीबद्ध करें।"

9. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह तर्क देने का प्रयास किया है कि यद्यपि याचिकाकर्ता को 09.01.2025 को निलंबित कर दिया गया था और याचिकाकर्ता को 20.05.2025 को आरोप पत्र सौंपा गया था तथा याचिकाकर्ता ने 29.09.2025 को अपना जवाब दाखिल किया था, फिर भी आज तक विभागीय कार्यवाही पूरी नहीं हुई है। उनका निवेदन है कि निलंबन आदेश और आरोप पत्र में निहित आरोपों को सरसरी तौर पर देखने से ही यह स्पष्ट होता है कि यह याचिकाकर्ता की उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में उप सचिव के पद पर नियुक्ति से संबंधित है, जो वर्ष 2018 में हुए चयन से संबंधित है। उनका तर्क है कि प्रत्यर्थीगण के लिए सात साल बाद पुराने आरोपों के संबंध में जांच कार्यवाही करना उचित नहीं था। याचिकाकर्ता का तर्क है कि ओएमआर शीट आदि के रखरखाव न करने से संबंधित आरोप 2018 के हैं, जबकि आरोप पत्र 2025 में दायर किया गया है। याचिकाकर्ता ने आगे कहा है कि वह अपने कर्तव्य के प्रति सतर्क थी। उसने यह भी कहा कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस (टीसीएस) आउटसोर्सिंग एजेंसी है और इसमें निर्धारित नियमों का उल्लंघन करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। उसने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता विभागीय कार्यवाही का सामना करने से नहीं हिचकिचाती और याचिकाकर्ता के खिलाफ अभिलेख में कोई सबूत उपलब्ध नहीं है। उसने यह भी कहा कि यदि उक्त आरोपों को अक्षरशः सच भी मान लिया जाए, तो निलंबन आदेश को बरकरार नहीं रखा जा सकता, खासकर तब जब अधिकतम मामूली दंड ही लगाया जा सकता है, न कि भारी दंड।

10. दूसरी ओर, विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री एस.के. पाल ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा उठाए गए ये तर्क कि आरोप पुराने हो चुके हैं और सात वर्ष बीत जाने के बाद विभागीय कार्यवाही नहीं की जा सकती, निराधार हैं, विशेषकर तब

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जब ओएमआर शीट न रखने के संबंध में पहले ही जांच और पूछताछ की जा चुकी है। उन्होंने 16.04.2025 के पत्र की ओर भी न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया है, जिसमें घटनाक्रम दर्शाया गया है। हालांकि, उन्होंने निवेदन किया कि निलंबन आदेश को अपास्त किया जा सकता है, लेकिन जांच न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर ही की जानी चाहिए और याचिकाकर्ता को उक्त कार्यवाही को लंबा खींचने की छूट नहीं दी जानी चाहिए।

11. मैंने बार के समक्ष प्रस्तुत सभी दलीलें सुनी हैं और अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है।

12. तथ्य विवादित नहीं हैं। यह विवादित नहीं है कि निलंबन आदेश और आरोपपत्र में निहित आरोप याचिकाकर्ता की 23.05.2018 से 06.01.2020 तक उप सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के रूप में की गई कार्यवाही से संबंधित हैं। इसके बाद, दिनांक 01.01.2020 के आदेश के अनुसार, दिनांक 07.01.2020 से याचिकाकर्ता ने मंडी परिषद, मुख्यालय लखनऊ में उप निदेशक का पदभार ग्रहण किया और दिनांक 05.06.2023 के आदेश के अनुसार, उन्हें अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (भूमि अधिग्रहण), कानपुर नगर के पद पर तैनात किया गया है। हालांकि याचिकाकर्ता पर ओएमआर शीट की गोपनीयता न रखने के कारण कदाचार के आरोप हैं, लेकिन समग्र तथ्यों और परिस्थितियों के साथ-साथ इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता को वर्ष 2018 के आरोपों के संबंध में निलंबित किया गया था और वह वर्तमान में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग के उप सचिव के पद पर तैनात नहीं हैं, निलंबन जारी रखना उचित नहीं है। इसके अलावा, न्यायालय ने पाया कि अभिलेख में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह पता चले कि 29.09.2025 को आरोप पत्र का जवाब प्रस्तुत करने के बाद याचिकाकर्ता जांच में भाग लेने से बच रहा था। तदनुसार, याचिका का निर्णय निम्नलिखित शर्तों पर किया जा रहा है:-

(ए) उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ के विशेष सचिव द्वारा दिनांक 09.01.2025 को पारित आदेश अपास्त किया जाता है।

(बी) चूंकि आरोप पत्र पहले ही जारी किया जा चुका है जिस पर याचिकाकर्ता ने 29.09.2025 को अपना जवाब प्रस्तुत किया है, इसलिए अनुशासनात्मक कार्यवाही आदेश की प्रमाणित प्रति



प्रस्तुत करने की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर, यानी 31.03.2026 तक समाप्त कर दी जाएगी।

13. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अशोक खरे और उनके साथ उपस्थित अधिवक्ता श्री ओम प्रकाश यादव ने बार में यह कथन किया है कि याचिकाकर्ता कार्यवाही स्थगित नहीं करेगा तथा जांच कार्यवाही में भाग लेगा।

14. याचिकाकर्ता को नियमों के अनुपालन के अधीन, 09.01.2025 से आज के आदेश पारित होने तक की अवधि के लिए निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। यदि याचिकाकर्ता जांच में भाग नहीं लेता है और अनुचित रूप से कार्यवाही स्थगित करता है, तो अनुशासनात्मक प्राधिकारी का जांच अधिकारी उक्त अवधि के भीतर जांच को आगे बढ़ाएगा और उसे पूरा करेगा।

15. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका का **निस्तारण** किया जाता है।

16. आज दाखिल किए गए निर्देश अभिलेख में दर्ज कर लिए गए हैं और परिशिष्ट 'सी' के रूप में चिह्नित किए गए हैं।

14 जनवरी, 2026

एन.एस. राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)